



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्रथम तल, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल - 462011)

क्रमांक 709 / सम्पदा गो-लाईव - 46/2015

भोपाल, दिनांक 11.06.2015


प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय - सम्पदा ई-पंजीयन परियोजनान्तर्गत स्वॉन नेटवर्क के आर एफ स्विच कनेक्टिविटी के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत दिनांक 28.05.2015 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशानुसार आपके जिले के सभी उप पंजीयक एवम् जिला पंजीयक कार्यालयों, जो स्वॉन नेटवर्क के आर एफ द्वारा जुड़े हुए हैं, में आर एफ के स्विच को अनिवार्य रूप से यूपीएस द्वारा कनेक्ट कर बिजली प्रदाय की जानी है। उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यदि यह पाया गया कि आर.एफ का स्विच यूपीएस द्वारा कनेक्ट न किए जाने के कारण जल जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 710 / सम्पदा गो-लाईव-46/2015

भोपाल, दिनांक 11.06.2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।